

अपर सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (मैत्रीवाला)।

सेवा में,

प्रबन्धक,

30 मातो विद्या सरस्वती विद्या मंदिर
जानकी नगर, कोटद्वार गढ़वाल।

पत्रिका: 103-0) मान्यता-20/9/11/105/174 /2007

रामनगर, दिनांक 30 अप्रैल, 2007

विषय: आपका हाईस्कूल/कॉलेज परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त/प्रतिरूप की मान्यता का प्रार्थना पत्र।

महादेव,

शासनआदेश संख्या 410/XXIV-4/2006 दिनांक 27-12-2006 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा अधिनियम-2006 की धारा-18(4)/धारा 12.1.1 के अन्तर्गत आपके विद्यालय को हाईस्कूल/कॉलेज नवीन/अतिरिक्त/प्रतिरूप में अतिरिक्त/वित्तविहीन मान्यता दिए जाने की स्वीकृति का आदेश प्रदान किया है।

परिषद के पत्रांक 007-08 दिनांक 22-1-07 के द्वारा सूचना मांगे जाने के उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी, पीडी के पत्रांक 11850/56142-4 दिनांक 28-3-07 के द्वारा प्राप्त सूचना का परीक्षा/परीक्षा काल/राज्य विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष 2009 की हाईस्कूल/कॉलेज परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ मान्यता पत्र निर्गत किया जाता है।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इस पत्र में वर्ग/विषय की नवीन 9 वीं/कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सजा-सज्जा, शिक्षक सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्रामात, सुरक्षित कोष एण्ड आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन में जिला शिक्षा अधिकारी को पूर्ण रूप से संतुष्ट करें इसके लिए संस्था अधिकारी ही स्वयंमेव उत्तरदायी होंगे।
- (2) इस आदेश पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला शिक्षा अधिकारी से 9वीं/कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) सजा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय, इसके लिए सिंगल सीटेड डस्ट व चैयर्स ही स्वीकार किये जायेंगे।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों में अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से किम्बित अंशकालिक अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय।
- (5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।
- (6) नवीन/अतिरिक्त/प्रतिरूप संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयंमेव वहन करें।

प्रबन्धक

सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज
जानकी नगर, कोटद्वार गढ़वाल

प्रधानाचार्य

रिनेश शर्मा प्रधानाचार्य विद्या मन्दिर
इण्टरमीडिएट कॉलेज, जानकी नगर
कोटद्वार पीडी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

प्रधानाचार्य
सरस्वती विद्या मन्दिर
इण्टर कॉलेज

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता समिति विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रयत्न मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।
- (ख) मानको के तहत विद्यालय के नाम से भूमि की रजिस्ट्री की जाय तथा दाखिल छारिज के बाद छाता छातौनी की प्रति परिषद को एक वर्ग के अन्दर उप करायी जाय।
- § 3- जूनियर हाईस्कूल स्तर पर स्थायी मान्यता प्राप्त कर ली जाय।
- § 4- शासन द्वारा निर्धारित मानको के तहत 8x6मी0-03 शिक्षण, 9x6मी0-01 प्रयोगशाला, 8x6मी0-01 पुस्तकालय तथा 6x6मी0-01 अध्यापक कक्षा का निर्माण करवा दिया जाय तथा कार्य पूर्ति का प्रमाण पत्र एक वर्ग के अन्दर परिषद के उपलब्ध कराये।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
हाईस्कूल नवीन	1-हिन्दी 2- अंग्रेजी/संस्कृत 3-विज्ञान एवं पौद्योगिकी 4-सामाजिक विज्ञान 5-गणित/गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिये 6-कला शिक्षा 7-कायानुभव/व्यावसायिक शिक्षा 8-स्वास्थ्य शिक्षा।	संगीत, पेंटिंग, वाणिज्य, तृतीय भाषा।

टिप्पणी:- कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु कम से कम 40 छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में

अंकित समस्त प्रतिबन्धों (नियुक्तियों को छोड़कर) को अपने स्तर से भी एक वर्ग के अन्दर पूर्ण करवाये अन्यथा शासन द्वारा जारी की कार्यवाही की जाये।

§ अनिल कुमार नेगी §
अपर सचिव


उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
सामनगर (नैनीताल)।

पु0सं0/ मान्यता-20/9/18/105/174 /2007

सामनगर, दिनांक- उपेवत्

प्रतिलिपि:- निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी - गढ़वाल।
- (2) मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल-मण्डल-पौड़ी-।
- (3) निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (4) हाईस्कूल परीक्षा परीक्षा/ कम्प्यूटर अनुभाग


प्रबन्धक

सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज
जनकी नगर, कोटद्वार गढ़वाल


प्रधानाचार्य

रितेश शर्मा सरस्वती विद्या मन्दिर
जनकी नगर, कोटद्वार गढ़वाल

कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड

§ अनिल कुमार नेगी §
अपर सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
सामनगर (नैनीताल)।

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नेनीताल)।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सरस्वती विद्या मन्दिर
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जानकीनगर,
कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक :- मान्यता-(174)/ 344-49 /2010-11 दिनांक 09/08/2010

विषय :- इण्टर नवीन (विज्ञान वर्ग) की मान्यता प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

शासनादेश संख्या 493/XXIV-4/2010 दिनांक 07 जुलाई, 2010 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा अधिनियम-2006 की धारा-18 (4) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को इण्टर नवीन विज्ञान वर्ग की वित्त-विहीन मान्यता दिए जाने की स्वीकृति का आदेश प्रदान किया है।

परिषद के पत्रांक मान्यता-(174)/ 247-48/2010-11 दिनांक 14-07-2010 के द्वारा सूचना मांगे जाने के उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक शिविर/4764/6(1)दो/इण्टर मान्यता/10-11 दिनांक 31-07-2010 के द्वारा प्राप्त सूचना का परीक्षणोपरान्त बालक विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष-2012 की इण्टर परीक्षा से निम्नलिखित विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ मान्यता पत्र निर्गत किया जाता है।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इस पत्र में वर्ग/विषय की नवीन 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एण्ड आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला शिक्षा अधिकारी को पूर्ण रूपेण संतुष्ट करें इसके लिए संस्था अधिकारी ही स्वयंमेव उत्तरदायी होंगे।
- (2) इस आदेश पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला शिक्षा अधिकारी से 11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय, इसके लिए सिंगल सीटेट डेस्ट व चेयर्स ही स्वीकार किये जायेंगे।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों में अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय।

(5) निरामानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।

(6) नवीन कक्षाएँ संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी ही स्वयंमेव वहन करें।

प्रबन्धक
सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज
जानकी नगर, कोटद्वार गढ़वाल

प्रधानाचार्य
सरस्वती विद्या मन्दिर
जानकी नगर, कोटद्वार गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

कु0प0उ0
प्रधानाचार्य

सरस्वती विद्या मन्दिर

10
A

(2)

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता संपत्ति विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।
- (ख) विद्यालय में अध्यापनिक कक्षाएँ कदापि संचालित न की जाय।
- (ग) हाईस्कूल मान्यता पत्र में अंकित कमियों की पूर्ति कर ली जाय। तथा जूनियर हाईस्कूल स्तर पर स्थायी मान्यता का प्रतिबन्ध एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कर लिया जाय।
- (घ) भूमि/भवन विद्यालय के नाम पंजीकृत एक वर्ष के अन्दर कर ली जाय। एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व कमियाँ पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में संस्था द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाय। अन्यथा की स्थिति में मान्यता स्वतः- समाप्त समझी जायेगी।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टरमीडिएट नवीन (विज्ञान वर्ग)	1. हिन्दी	1. अंग्रेजी 2. भौतिक विज्ञान 3. रसायन विज्ञान 4. जीव विज्ञान 5. गणित

टिप्पणी :- कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु कम से कम 25 छात्र उपलब्ध होने पर जिला शिक्षा अधिकारी कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों (नियुक्तियों को छोड़कर) की एक वर्ष के अन्दर पूर्ति कराकर सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

भवदीय,

9.8.10

अधिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)
रामनगर (नैनीताल)


पू0सं0/मान्यता-(174) /2010-11 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल।
- (2) मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल -पौड़ी।
- (3) निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (4) इण्टर परीक्षा अनुभाग परीक्षा/कम्प्यूटर अनुभाग उ0वि0शि0प0रामनगर।

सौचित

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)



प्रबन्धक

सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज
जगदी नगर, कोटद्वार गढ़वाल



प्रधानाचार्य

विशेष शर्मा सरस्वती विद्या मन्दिर
इण्टरमीडिएट जानकीनगर
कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

प्रेषक,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,

पौड़ी गढ़वाल।

सेवा में,

प्रबन्धक,

सरस्वती विद्या मन्दिर इ0का0, जानकीनगर, कोटद्वार,

पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक: मान्यता / 97-1-76 / 6(1) एक / वित्त विहीन / 2020-21, दिनांक 27 फरवरी, 2021

विषय- इण्टर अतिरिक्त मानविकी एवं वाणिज्य वर्ग (हिन्दी माध्यम) की परीक्षा के लिये वित्त विहीन मान्यता प्रदान किये जाने के फलस्वरूप कक्षा-11 में कक्षा संचालन की शर्त अनुमति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रागनगर (नेनीताल) के पत्रांक: मान्यता / 1769-63 / 2020-21, दिनांक 01 फरवरी, 2021 द्वारा आपके विद्यालय को शासनादेश संख्या: 912 / XXIV-4 / 2020 -5(02)2020 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4, देहरादून: दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 एवं शुद्धि पत्र / संशोधित शासनादेश संख्या: 1165 / XXIV-B-4-05 (2)2020, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4, देहरादून दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 के क्रम में विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा -18(4) के अधीन इण्टर अतिरिक्त मानविकी एवं वाणिज्य वर्ग (हिन्दी माध्यम) की वित्त विहीन मान्यता परिषद् की वर्ष, 2022 की परीक्षा से सम्मिलित होने हेतु सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित निम्न विषयों में प्रदान की गई है:-

वर्ग	वैकल्पिक विषय
इण्टर अतिरिक्त मानविकी वर्ग	हिन्दी, कम्प्यूटर, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, संस्कृत।
वाणिज्य वर्ग	एकाउन्टेन्सी, बिजनेस स्टडीज, अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर।

अतः आपके पत्रांक: 27 / 2020-21, दिनांक 03.02.2021 के क्रम में उक्त वर्गों में कक्षा-11 में प्रवेश हेतु 54 छात्र-छात्राओं की सूची के आधार पर प्रवेश हेतु छात्र उपलब्ध होने की स्थिति में ही वर्तमान शिक्षा सत्र, 2020-21 से हिन्दी माध्यम में कक्षा संचालन की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

- 1- विद्यालय में हाईस्कूल स्तर पर प्रबन्ध तन्त्र द्वारा मान्यता के विषयों के अनुरूप अपने निजी श्रोतों से निर्धारित सेवा शर्तों को पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित शिक्षकों को ही रखा जायेगा।
- 2- संस्था द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में अंकित विवरण / साक्ष्य के असत्य पाये जाने पर विद्यालय की प्रदत्त मान्यता के कक्षा संचालन की अनुमति निरस्त कर दी जायेगी।
- 3- विद्यालय में अवैधानिक कक्षाएँ संचालित न की जायं।
- 4- विद्यालय द्वारा धारित कुल 3240 वर्ग मी0भूमि पर धारा 229 वी0 के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी, कोर्ट / विद्यालय संस्था एवं उत्तराखण्ड राज्य सरकार के मध्य मा0 न्यायालय तर्फे विचाराधीन वाद का निस्तारण विद्यालय के पक्ष में अनिवार्यतः एक वर्ष के भीतर कराया जाये।
- 5- सम्बन्धित विद्यालय द्वारा भविष्य में अनुदान के लिये मांग नहीं की जायेगी तथा नवीन कक्षाएँ संचालित करने का सगस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे।


भवदीय,

(एम0एस0रायत) 22/2021
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

पृ0सं0: मान्यता / / 6(1) एक / वित्त विहीन / 2020-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रागनगर (नेनीताल)।
- 2- सभापति / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
- 3- खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड, दुगड़डा, पौड़ी, गढ़वाल।
- 4- प्रधानाचार्य, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज, जानकीनगर, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल।
- 5- बोर्ड परीक्षा अनुभाग, कार्यालय-मु0शि0अ0, पौ0ग0।
- 6- कार्यालय गार्ड पत्रावली।


प्रबन्धक
सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज
जानकीनगर, कोटद्वार गढ़वाल


प्रबन्धक
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
इण्टर कॉलेज, जानकीनगर
कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

(एम0एस0रायत)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।